

अमिताभ ठाकुर

प्रति

श्री योगी आदित्यनाथ, वर्तमान मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

धारा : 196(1), 197(1), 298 व 302

बी.एन.एस.

थाना : हजरतगंज

जनपद : लखनऊ

21-04-2025

आवेदक अमिताभ ठाकुर के द्वारा परिवाद-पत्र इस आशय का दाखिल किया गया है कि प्रस्तावित विपक्षी योगी आदित्यनाथ, वर्तमान मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के द्वारा सोशल मीडिया पोस्ट X handle @ myogiadityanath पर एक वीडियो पोस्ट डाला गया, जिसमें वह यह कहते हुए दिखायी दे रहे हैं, "समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूल में और दूसरों के बच्चों के लिए कहेंगे उर्दू पढ़ाओ . . . उनको मौलवी बनाना चाहते हैं, 'कठमुल्लापन' की ओर देश को ले जाना चाहते हैं, ये नहीं चल सकता है," "और उर्दू की आप बकालत कर रहे हैं, यह बड़ी विचित्र बात है। अपने बच्चों को ये लोग पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूलों में और दूसरों के बच्चों के लिए यदि सरकार सुविधा देना चाहती है, तो कहते हैं कि उर्दू पढ़ाओ, उसको मौलवी बनाना चाहते हैं, यानि कठमुल्लापन की ओर देश को ले जाना चाहते हैं।" आवेदक ने कठमुल्लापन को परिभाषित करते हुए बताया है कि कठमुल्ला का तात्पर्य है बनावटी मुल्ला, कम पढ़ा-लिखा शिक्षक, अधूरे ज्ञान का उपदेशक, संकुचित विद्या का मालिक, अपने मत या सिद्धान्त के प्रति अत्यन्त आग्रहशील या दुराग्रही व्यक्ति, हठधर्मी मौलवी, कट्टर मौलवी, वह मुल्ला जो काठ के मनकों की माला फेरता हो। आवेदक के अनुसार मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के द्वारा उपर्युक्त शब्दों और बातों से जाति, धर्म, जन्म-स्थान, निवास, भाषा, समूह जैसे आधारों पर समाज के विभिन्न वर्गों में शत्रुता, द्वेष फैलाने और उनके मध्य सौहार्द बनाये रखे पर प्रतिकूल प्रभाव डालने का कार्य किया जा रहा है। मुख्य मंत्री के उपरोक्त कथनों से लोकशान्ति भंग होगी और समाज के विभिन्न वर्गों में आपसी सौहार्द बिगड़ जायेगा। मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के उपरोक्त शब्दों से समाज की धार्मिक भावनायें आहत होती हैं। इसके पूर्व भी योगी आदित्यनाथ को गोरखपुर के दंगों के संबंध में द्वेषपूर्ण भाषण दिये जाने हेतु उनके विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज हुयी थी, जो राज्य सरकार द्वारा अभियोजन की अनुमति

मिलने के कारण समाप्त/ड्राप कर दी गयी। मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ के उपरोक्त पोस्ट से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनायें आहत होती हैं और उनकी मानहानि होती है। आवेदक के द्वारा यह प्रार्थना की गई कि मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के उपरोक्त कथनों एवं पत्रावली पर उपलब्ध समर्थित सामग्री से हुई मानहानि और अन्य दण्डिक दुष्कृत्य के लिए विपक्षी के विरुद्ध अपराध का संज्ञान लेकर विधि अनुसार दोषसिद्ध एवं दण्डित किया जाय।

परिवादी के द्वारा उपरोक्त तथ्यों का अभिकथन करते हुए दिनांक 19-03-2025 को प्रस्तुत परिवाद न्यायालय के समक्ष दाखिल किया गया, जिसे पोषणीयता के बिन्दु पर सुनवाई हेतु अग्रिम तिथि नियत की गयी। पूर्व तिथि पर परिवादी स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित आया और पोषणीयता के बिन्दु पर परिवाद के समर्थन में बल देते हुए यह अभिकथित किया कि राज्य के मुखिया होने के नाते मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा उपरोक्त प्रकार की बातें कहे जाने से समाज के विभिन्न वर्गों, विशेषतः मुस्लिम समुदाय में धार्मिक असंतोष एवं बैमनस्यता उत्पन्न होती है तथा मुख्य मंत्री के उपरोक्त वर्णित अभिकथनों से उक्त समुदाय या वर्ग विशेष की मानहानि होती है। अतः राज्य की न्याय व्यवस्था को बनाये रखने हेतु विपक्षी के विरुद्ध परिवाद पर संज्ञान लेते हुए विधि अनुसार उन्हें दोषसिद्ध एवं दण्डित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

सुना एवं परिवाद-पत्र तथा उसके साथ दाखिल प्रपत्रों का अवलोकन किया गया।

आवेदक के द्वारा मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ के विरुद्ध परिवादपत्र यह अभिकथन करते हुए दाखिल किया गया है कि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के द्वारा मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनाओं का अपमान किया गया है। उनके द्वारा X handle @ myogiadityanath पर पोस्ट किये गये विडियो में यह कहा गया है कि समाजवादियों का चरित्र दोहरा हो चुका है, ये अपने बच्चों को पढ़ाएंगे इंग्लिश स्कूल में और दूसरों के बच्चों के लिए कहेंगे उर्दू पढ़ाओ . . . उसको मौलवी बनाना चाहते हैं। इसी प्रकार के अन्य कथन प्रस्तावित अभियुक्त/विपक्षी द्वारा कहे गए हैं। आवेदक के अनुसार मुख्य मंत्री के उपरोक्त कथनों से मुस्लिम समुदाय की धार्मिक भावनायें आहत होती हैं और उनकी मानहानि होती है। इस संबंध में आवेदक के द्वारा परिवाद-पत्र के साथ प्रश्नगत मीडिया पोस्ट के स्क्रीन शॉट की छाया प्रति दाखिल की गयी है, जिसमें योगी आदित्यनाथ की मीडिया पोस्ट का वर्णन है और एक फोटो चित्र भी दर्शित हो रहा है। उक्त फोटो चित्र को देखने से यह प्रतीत होता है कि मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश, अन्य मंत्रियों और विधायकों के साथ विधान सभा में उपस्थित हैं, अर्थात् मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश के

उपरोक्त कही गयी बातें विधान सभा के भीतर कही गयी हैं। अतः इस सन्दर्भ में भारतीय संविधान के **अनुच्छेद 194** का अध्ययन करना आवश्यक हो जाता है। भारतीय संविधान के 194वें अनुच्छेद में राज्य के विधान-मंडलों और उनके सदस्य की शक्तियों, विशेषाधिकारों एवं उन्मुक्तियों का वर्णन किया गया है, जो इस प्रकार हैं:-

राज्यों के विधान-मंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ

194. (1) इस संविधान के उपबंधों के और विधान-मंडल की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए, प्रत्येक राज्य के विधान-मंडल में वाक्-स्वातंत्र्य होगा।

(2) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गई किसी बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी और किसी व्यक्ति के विरुद्ध ऐसे विधान-मंडल के किसी सदस्य के प्राधिकार द्वारा या उसके अधीन किसी प्रतिवेदन पत्र, मतों या कार्यवाहियों के प्रकाशन के संबंध में इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी।

(3) अन्य बातों में राज्य के विधान-मंडल के किसी सदस्य की और ऐसे विधान-मंडल के किसी सदस्य के सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ ऐसी होंगी जो वह विधान-मंडल, समय-समय पर, विधि द्वारा परिनिश्चित करें और जब तक वे इस प्रकार परिनिश्चित नहीं की जाती हैं तब तक [वही होंगी जो संविधान (चालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 26 के प्रवृत्त होने से ठीक पहले उस सदस्य की और उसके सदस्यों और समितियों की थीं]।

(4) जिन व्यक्तियों को इस संविधान के आधार पर राज्य के विधान-मंडल के किसी सदस्य या उसकी किसी समिति में बोलने का और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग लेने का अधिकार है, उनके संबंध में खंड (1), खंड (2) और खंड (3) के उपबंध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उस विधान-मंडल के सदस्यों के संबंध में लागू होते हैं।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद-194 के उप-अनुच्छेद (1) राज्य के विधान-मंडलों में वाक्स्वातंत्र्य प्रदान करता है और उप-अनुच्छेद (2) राज्य के विधान-मंडल में या उसकी किसी समिति में विधान-मंडल के किसी सदस्य द्वारा कही गयी किसी बात के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही किये जाने से प्रतिषिद्ध करता है। चूँकि आवेदक के अनुसार मुख्य मंत्री उत्तर प्रदेश ने जो प्रश्नगत अभिकथन किये हैं, वे उत्तर प्रदेश राज्य के विधान-मंडल/विधान सभा में कहे गये हैं, अतः मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश के द्वारा कहे गये उपरोक्त कथनों के लिए संविधान का अनुच्छेद-194 उन्हें उन्मुक्ति प्रदान करता है। अतः उनके द्वारा विधान-मंडल में कही गयी बातों के लिए इस न्यायालय के भीतर कोई कार्यवाही पोषणीय नहीं होगी।

जहाँ तक आवेदक का यह अभिकथन है कि उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा कही गयी बातों से वर्ग विशेष या वर्ग विशेष के किसी सदस्य की मानहानि हुई है, तो इस सम्बन्ध में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 222 प्रासंगिक हो जाती है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 222, पुरानी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा-199 के समकक्ष है।

यह प्रावधानित करती है कि कोई न्यायालय भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 356, (जो मानहानि के बारे में बात करती है) के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान ऐसे से व्यथित किसी व्यक्ति द्वारा किये गये परिवाद पर ही करेगा, अन्यथा नहीं। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक मानहानि के अपराध के सन्दर्भ में **व्यथित** व्यक्ति की परिभाषा में नहीं आता है। अतः आवेदक को धर्म-विशेष या उसके किसी सदस्य की मानहानि के लिए स्वयं परिवाद दाखिल करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। इसके अतिरिक्त भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 222 की उप-धारा 4 में यह प्रावधान किया गया है कि यदि मानहानि के अधीन आने वाले किसी अपराध के बारे में यह अभिकथित किया जाता है कि वह ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध है, जो ऐसे अपराध के किये जाने के समय भारत के राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यपाल या किसी संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक या संघ और किसी राज्य का या किसी राज्य क्षेत्र का **मंत्री** या संघ या राज्य के कार्यकलाप के संबंध में नियोजित लोक सेवक हो तो ऐसे अपराध का संज्ञान लोक अभियोजक के द्वारा (राज्यपाल, या मंत्री होते या रहे होने की दशा में) राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ही परिवाद दाखिल किया जायेगा, अन्यथा नहीं। इस प्रकार उपरोक्त विधिक प्रावधानों के प्रकाश में आवेदक उपरोक्त विधिक औपचारिकता को पूर्ण नहीं करता है। ऐसी दशा में आवेदक का परिवाद पोषणीय नहीं है।

जहाँ तक विपक्षी के विरुद्ध किन्हीं पूर्व अभियोजनों या मुकदमों की बात है तो उस सन्दर्भ में न्यायालय का यह मत है कि वर्तमान एवं प्रस्तुत प्रकरण को केवल उसके अपने तथ्यों के आलोक में देखा जाना न्यायोचित होगा।

उपरोक्त समस्त तथ्यों के अवलोकन एवं विधिक प्रावधानों के निर्वचन के उपरान्त न्यायालय का यह अभिमत है कि आवेदक का परिवाद विधिक सिद्धान्तों के प्रकाश पोषणीय नहीं है और निरस्त किये जाने योग्य है।